छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2007 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

इंदिरा गंगा योजना द्वारा लाभान्वित कृषकों की जानकारी

1. (*क्र. 521) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में इंदिरा गंगा योजना कार्यक्रम से वर्ष 2005-06 में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं ? विकासखण्डवार कृषकों की संख्या बतायें ? (ख) बिलासपुर जिले में खरीफ फसल हेतु कितने किसानों को, कौन सी बीज कितनी मात्रा में प्रदान किये गये ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत इंदिरा गंगा योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) बिलासपुर जिले में खरीफ फसल हेतु वर्ष 2006 में 18,082 किसानों को 7045.77 क्विंटल बीज प्रदाय किया गया है. फसलवार प्रदाय किये गये बीज की मात्रा एवं कृषक संख्या की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

औद्योगिक क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाएं

2. (*क्र. 1287) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई. एस. आई. के अन्तर्गत श्रमिकों/कर्मचारियों को कौन-कौन सी चिकित्सीय सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्र भिलाई एवं दुर्ग में दी जा रही है ? (ख) क्या श्रमिकों से चिकित्सीय सुविधा के एवज में अंशदान लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द यादव) : (क) श्रमिकों को निम्नलिखित चिकित्सीय सुविधायें दी जा रही है :-

1. बाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा.
2. शासकीय तथा अन्य अधिकृत चिकित्सालयों में अंत: रोगी चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ सुविधा, पैथालाजी, एक्स-रे तथा अन्य विशेष जांच सुविधा.
3. अन्य चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का नियमानुसार पुनर्भुगतान.
4. चिकित्सा अग्रिम की सुविधा.
5. परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा प्रतिरोधक टीकों की सुविधा.
6. अन्य चिकित्सालयों में सन्दर्भित किये गये मरीजों को साधारण श्रेणी के रेल किराये के बराबर किराया भुगतान.

(ख) जी हां. रुपये 10,000/- प्रतिमाह वेतन पाने वाले बीमित व्यक्तियों के वेतन से 1.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित व्यक्तियों के वेतन का 4.75% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नई दिल्ली) में जमा किया जाता है.

फर्जी चालान से परिवहन का रजिस्ट्रेशन

3. (*क्र. 1283) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर सहित अन्य कार्यालयों में फर्जी चालान से शुल्क जमा करने के मामले प्रकाश में आए हैं ? अगर हां, तो कितने, कितनी राशि के किन-किन के द्वारा-? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के मामले में जांच करायी गई ? अगर हां, तो किन-किन को दोषी पाया गया ?

---

† परिशिष्ट "एक"

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) प्रदेश में किसी भी कार्यालय में फर्जी चालान से शुल्क जमा करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, परन्तु परिवहन कार्यालय रायपुर, धमतरी एवं कोरबा में जीवन काल कर, मासिक कर एवं त्रैमासिक कर के मद में कोषालय में जमा चालान की राशि में कुटरचना कर फर्जी चालान प्रस्तुत करने के 66 प्रकरण पाये गये हैं, जिनमें रु. 7,93,368/- (रु. सात लाख तिरानवे हजार तीन सौ अड़सठ) की राशि प्रभावित हुई है. संबंधित वाहन स्वामियों से रु. 7,81,455/- वसूल कर लिया गया है, तथा रु. 11,913/- वसूल किया जाना शेष है. वसूली के प्रयास जारी है. जिनके द्वारा फर्जी चालान प्रस्तुत किया गया है, उनका विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) फर्जी चालान प्रस्तुत किये जाने के मामले संबंधित कार्यालय प्रमुखों से जांच कराई गई है. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये. कुटरचित चालान जमा करने वालों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. उसका विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जलाशय निर्माण की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

4. (*क्र. 487) **श्री गणेश शंकर बाजपेयी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करही जलाशय, तिल्दा बांधा एवं तिथिडीह जलाशय के लिए कितने कृषकों की जमीन अधिग्रहित की गई ? (ख) कितने कृषकों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दे दिया गया है तथा कितने को नहीं ? (ग) मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं ? मुआवजा कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) करही जलाशय, तिल्दा बांधा जलाशय एवं तिथिडीह योजनाओं के निर्माण के लिये क्रमशः 110, 57 एवं 62 इस प्रकार कुल 229 खातेदारों (कृषकों) की जमीन अधिग्रहित की गई है. (ख) कुल 193 खातेदारों (कृषकों) को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है, जिनमें से 05 खातेदार (कृषकों) द्वारा दर संबंधी वाद दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय, रायपुर द्वारा दिये गये निर्णय के पालन में, विभाग द्वारा रु. 15,04,671.00 की राशि माननीय न्यायालय, रायपुर में जमा की गई है. वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है. 36 खातेदारों (कृषकों) का मुआवजा भुगतान शेष है. (ग) मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण निम्नानुसार है :-

(i) 20 खातेदारों के सहखातेदारों सहित उपस्थित न होने के कारण, उनके उपस्थित होने पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भुगतान किया जावेगा.

(ii) 16 खातेदारों का भू-अर्जन प्रकरण प्रक्रियाधीन है. भू-अर्जन प्रकरण का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, अतः भुगतान की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का संग्रहण

5. (*क्र. 1269) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को किस-किस स्थान के संग्रहण केन्द्र में कितनी-कितनी मात्रा में रखा गया था ? वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 की जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित वर्षों में संग्रहण केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में किन कारणों से धान खराब हुआ तथा खराब धान में से कितनी मात्रा की किस-किस दर से बिक्री की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्षवार, संग्रहण केन्द्रवार भण्डारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्ष 2004-05 में असामयिक वर्षा के कारण 17,209.01 क्विंटल धान की गुणवत्ता प्रभावित हुई, जिसमें से 9,539.18 क्विंटल धान का निविदा के माध्यम से विक्रय किया गया है, जिसकी मात्रा एवं दर की जानकारी परिशिष्ट "च" पर संलग्न है. वर्ष 2005-06 में धान खराब नहीं हुआ है. वर्ष 2006-07 का धान निराकरण की प्रक्रिया में है.

बस्तर संभाग में उद्वहन सिंचाई के विद्युत देयकों का भुगतान

6. (*क्र. 760) **डॉ. सुभाऊ कश्यप :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग की कितनी उद्वहन सिंचाई योजना विद्युत देयकों के भुगतान नहीं होने के कारण बंद है ? (ख) विद्युत देयकों के भुगतान नहीं होने का क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) बस्तर संभाग की 04 उद्वहन सिंचाई योजनाएं विद्युत देयकों के भुगतान नहीं होने के कारण बंद है. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से लेनदारियों एवं देनदारियों के अंतिम निर्णय न होने से एवं कृषक समिति के द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया है.

---

† परिशिष्ट "दो"

जिला जांजगीर चांपा में किसान समृद्धि योजना का क्रियान्वयन

7. (*क्र. 1039) **महंत रामसुंदर दास :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान समृद्धि योजना जिला जांजगीर-चांपा में लागू है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विकासखण्डों में ? (ख) उक्त योजना के तहत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में किन-किन विकासखण्डों में कितने-कितने कृषकों को बोर उत्खनन एवं मोटर पंप के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये ? (ग) क्या इस योजना के तहत बोर उत्खनन एवं मोटर पंप में किसानों को अनुदान का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक. (ग) जी हां. किसान समृद्धि योजना अंतर्गत बोर उत्खनन एवं मोटर पंप के लिए वर्गवार निम्नानुसार अनुदान का प्रावधान है :-

क्र.	कृषक वर्ग	खनन अनुदान	पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान
1.	सामान्य	खनन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो.	सफल नलकूपों पर पंप एवं सहायक सामग्री लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु.15,000/- जो भी कम हो.
2.	अनुसूचित जाति/ जनजाति.	खनन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 18,000/- जो भी कम हो.	सफल नलकूपों पर पंप एवं सहायक सामग्री लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 25,000/- जो भी कम हो.

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

8. (*क्र. 705) **सुश्री कामदा जोल्हे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विकासखण्ड में सन् 2006 में कितनी धान खरीदी की गई ? (ख) कितना धान कस्टम मिलिंग से वापस हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) सारंगढ़ विकासखण्ड में सन् 2006 में समर्थन मूल्य पर 6,35,896.64 क्विंटल धान की खरीदी की गई. (ख) कस्टम मिलिंग से धान वापिस प्राप्त नहीं हुआ.

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें

9. (*क्र. 983) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में 30-11-2006 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य के दुकानों की संख्या कितनी थी ? (ख) दुर्ग जिले में 30-11-2006 से 31-01-2007 की स्थिति में कितनी उचित मूल्य की दुकानें निरस्त की गयी तथा कितनी नये दुकाने प्रारंभ करने की अनुमति दी गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दुर्ग जिले में 30-11-2006 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1271 उचित मूल्य दुकानें थी. (ख) दुर्ग जिले में 30-11-2006 से 30-1-2007 तक 13 शासकीय उचित मूल्य दुकानें निरस्त की गई तथा 5 शासकीय उचित मूल्य दुकानें प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है. विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

कृषकों की भूमि का मुआवजा

10. (*क्र. 1156) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनियारी संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर के अंतर्गत कौन-कौन सी सिंचाई योजना में, कितने कृषकों को भूमि या मकान का मुआवजा दिनांक 7 फरवरी, 2007 तक की स्थिति में नहीं दिया गया है ? (ख) कृषकों को उनका मुआवजा कब तक दिया जावेगा ?

† परिशिष्ट "तीन"

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) मनियारी संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर के कुल 9 सिंचाई योजनाओं में 912 कृषकों को भूमि का मुआवजा दिनांक 07 फरवरी, 2007 तक की स्थिति में नहीं दिया गया है. विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र. (1)	सिंचाई योजना का नाम (2)	मुआवजा भुगतान हेतु शेष कृषकों की संख्या (3)
1.	आगर व्यपवर्तन	57
2.	पथरिया व्यपवर्तन	379
3.	टेसुवा व्यपवर्तन	159
4.	हाफ शाखा नहर	31
5.	तोताकापा व्यपवर्तन	93
6.	पदमपुर व्यपवर्तन	98
7.	बिचारपुर-हिंडोल व्यपवर्तन	65
8.	भरतसागर जलाशय	15
9.	तेंदुवा जलाशय	15
	कुल योग 09 सिंचाई योजनाएं	912

सिंचाई योजनाओं में कृषकों का मकान अर्जित नहीं किया गया है. (ख) भू-अर्जन प्रकरण का निराकरण अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है. अतः निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

खरीफ वर्ष 2005-06 में राज्य शासन द्वारा उपार्जित चावल

11. (*क्र. 1135) **श्री भूपेश बघेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ वर्ष 2005-06 में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कितना मिट्रिक टन चावल उपार्जित किए जाने का लक्ष्य था ? कितना मिट्रिक टन चावल उपार्जित किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : खरीफ विपणन वर्ष 2005-06 में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए 9.40 लाख मे. टन चावल के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया था. भारतीय खाद्य निगम में चावल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 8.02 लाख मे. टन चावल का उपार्जन किया गया है.

विकासखण्ड कसडोल एवं बिलाईगढ़ में निर्माण कार्यों हेतु आवंटित राशि

12. (*क्र. 1161) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में स्टापडेम निर्माण एवं नहर-नाली निर्माण हेतु कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में जल संसाधन विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ख) स्वीकृत राशि में से वर्ष 2006-07 (अप्रैल 2006 से जनवरी 2007) में कितने निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं ? वर्तमान में निर्माण कार्य की स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जल संसाधन विभाग को वर्ष 2006-07 में स्टापडेम निर्माण हेतु कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. नहर नाली निर्माण हेतु कसडोल विकासखण्ड में रुपये 190.75 लाख एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में रुपये 77.00 लाख की राशि आवंटित की गई है. (ख) स्वीकृत राशि में से वर्ष 2006-07 (अप्रैल 2006 से जनवरी 2007) में 04 कार्य प्रारंभ किये गये. 01 कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 03 कार्य प्रगति पर है.

जिला कोरिया एवं सरगुजा में जल ग्रहण मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

13. (*क्र. 848) **श्री गुलाब सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया एवं सरगुजा जिलों में आदिवासी उपयोजना मद से किन-किन ग्रामों में जलग्रहण मिशन अंतर्गत नाला उपचार (बोल्डर चेक में) किसानों का खेत समतलीकरण, मेड़ बंधान का कार्य वर्ष 2005 एवं

2006 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर कार्य कराये गये हैं ? विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : कृषि विभाग द्वारा जलग्रहण मिशन नाम की योजना संचालित नहीं की जा रही हैं. अत: शेष का प्रश्न नहीं उपस्थित होता है.

प्रदेश में बारदाने की खरीदी

14. (*क्र. 62) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2006-07 में कितने बारदाने किस-किस फर्म से क्रय किए गए तथा किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया ? खरीदे गए बारदानों का वजन कितना निर्धारित किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : प्रदेश में वर्ष 2006-07 में 50 किलो भरती वाले 1,91,100 गठान बारदानों की खरीदी महानिदेशक सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता के माध्यम से की गई है. रुपये 11,508 प्रति गठान (प्रति गठान 500 नग) की दर से 219.92 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान डी. जी. एस. एण्ड डी. कोलकाता को किया गया है. एस. बी. टी. बारदाने का वजन 665 ग्राम निर्धारित है.

चांदो डायवर्सन योजना में व्यय राशि

15. (*क्र. 902) **श्री उदय मुदलियार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले की चांदो डायवर्सन योजना की लागत कितनी हैं और कब पूर्ण होनी हैं ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने गांव के कितने रकबे में सिंचाई होगी ? (ग) चांदो डायवर्सन योजना के अंतर्गत 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में दिनांक 4-2-2007 कुल कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में खर्च की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) राजनांदगांव जिले की चांदो डायवर्सन योजना (शिवनाथ व्यपवर्तन) की लागत रुपये 1399.00 लाख है. योजना जून, 2002 में पूर्ण हो चुकी है. (ख) उक्त योजना अन्तर्गत राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र में कुल 19 गांव के 3323 है. क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है. (ग) चांदो डायवर्सन योजना (शिवनाथ व्यपवर्तन) के अंतर्गत वर्षवार व्यय की गई राशि एवं मद का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपये लाख में)	मद
1.	2004-05	7.52	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
2.	2005-06	27.35	काम के बदले अनाज योजना
3.	2006-07 (दि. 4-2-2007 की स्थिति में)	31.36	काम के बदले अनाज योजना

निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी मिलाने वाले राइस मिलों के विरुद्ध कार्यवाही

16. (*क्र. 150) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राइस मिलों के द्वारा निर्धारित मात्रा से ज्यादा कनकी मिलाने की पुष्टि पश्चात् बिलासपुर जिले के किन-किन राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड करने हेतु जुलाई 2006 में संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर बिलासपुर को निर्देशित किया गया था तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जुलाई, 2006 में बिलासपुर जिले के राईस मिलों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

विधान सभा क्षेत्र कटघोरा में सिंचाई योजनाओं की लंबित प्रशासकीय स्वीकृति

17. (*क्र. 868) श्री **बोधराम कंवर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा, जिला कोरबा की किन-किन सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है ? प्रत्येक की क्या लागत है तथा सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है ? (ख) उक्त योजनाएं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को कब-कब प्रस्तुत की गई ? लंबित होने के क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) विधान सभा क्षेत्र-कटघोरा, जिला-कोरबा की कटघोरा व्यपवर्तन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लम्बित है. इस योजना की लागत रु. 1526.77 लाख तथा सिंचाई क्षमता 1991 हेक्टेयर है. (ख) उक्त योजना का प्रथम चरण प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु दिनांक 19-07-2006 द्वारा शासन को प्रस्तुत किया गया है. योजना की लागत रु. 10.00 करोड़ से अधिक होने के कारण परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन एवं आदिमजाति कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग को सहमति हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है. वित्त विभाग से सहमति अपेक्षित है.

प्रदेश के नालों/नदियों में एनीकट का निर्माण

18. (*क्र. 1244) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने नालों/नदियों में एनीकट/स्टापडेम निर्माण के कितने प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं ? (ख) प्राप्त प्रस्तावों में से कितनों में स्वीकृति प्रदान की गई है, सूची देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अरपा नदी में सल्का व्यपवर्तन, जोगीपुर व्यपवर्तन तथा आमामुड़ा व्यपवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है. (ख) उपरोक्त तीनों प्रस्तावों में से किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति वर्तमान में प्रदान नहीं की जा सकी है.

बेरियरों में शमन शुल्क की वसूली

19. (*क्र. 298) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न बेरियरों में 2005-06 एवं 2006-07 (31 जनवरी, 07 तक) में 09 टन से अधिक लोड वाले कितने वाहनों का जुर्माना किया गया ? कितनी राशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ? वर्षवार, बेरियरवार जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : परिवहन बेरियरों में वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 (31 जनवरी-2007 तक) 09 टन से अधिक लोड वाले एवं निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न है :-

वर्ष	चालान संख्या	प्राप्त शमन-शुल्क
2005-2006	18114	2,36,34,880/-
2006-2007 (31 जनवरी-2007)	9415	1,17,09,184/-

बेरियरवार किये गये चालान एवं वसूल किये गये शमन-शुल्क का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है.

बिलासपुर जिला में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई हेतु बीजों का वितरण

20. (*क्र. 236) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2006-07 में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई हेतु कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी प्रजाति के बीज, किस-किस दर पर उपलब्ध कराये गये हैं ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) शासन द्वारा गरीब किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत खरीफ फसल एवं रबी फसल हेतु कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी प्रजाति के मिनी किट का वितरण किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) क्या बिलासपुर जिले के मुंगेली

† परिशिष्ट "चार"

विकासखण्ड में बीज निगम द्वारा सोयाबीन का अमानक बीज विक्रय किया गया है जिसके फलस्वरूप किसानों को दुबारा बीज क्रय करके बुवाई करना पड़ा ? क्या ऐसे पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा की राशि दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक राशि दी जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2006-07 में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि फसलों का निम्नानुसार बीज उपलब्ध कराया गया :-

(इकाई मात्रा क्विं. में)

क्र.	विवरण	बीज निगम	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र	मिनिकिट	योग
1.	खरीफ 2006	6212.22	722.40	111.15	7045.77
2.	रबी 2006-07	1371.39	108.38	286.39	1766.16

फसलवार, प्रजातिवार, विकासखण्डवार प्रति क्विंटल बीज विक्रय दर, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 "अ" एवं 1 "ब" पर है. मिनिकिट निःशुल्क प्रदाय किये गये हैं. प्रदायित मिनिकिट की संख्या व मात्रा का विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 "अ" एवं 2 "ब" पर है. उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में खरीफ एवं रबी उद्यानिकी फसलों भिण्डी, ग्वारफल्ली, बरबट्टी, बैंगन, टमाटर एवं मिर्च के कुल 262 किलो बीज तथा 8943 सब्जी बीज मिनिकिट उपलब्ध कराये गये हैं. सब्जी बीज मिनिकिट निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है. उद्यानिकी फसलों का फसलवार, प्रजातिवार, विकासखण्डवार प्रति क्विंटल बीज विक्रय दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 "स" पर एवं विकासखण्डवार वितरित सब्जी मिनिकिट संख्या का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 "स" पर है. (ख) शासन द्वारा गरीब किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत खरीफ फसल के विभिन्न प्रजाति के 2350 मिनिकिट मात्रा 111.15 क्विंटल एवं रबी फसल के 7457 मिनिकिट मात्रा 286.39 क्विंटल वितरित किया गया है. उद्यानिकी फसलो के कुल 8943 सब्जी बीज मिनिकिट वितरित किये गये हैं. प्रदायित मिनिकिट की संख्या व मात्रा का विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 "अ", 2 "ब" एवं 2 "स" पर है. (ग) जी नहीं. बिलासपुर जिले के मुंगेली विकासखण्ड में बीज निगम द्वारा कोई भी सोयाबीन बीज अमानक स्तर का विक्रय नहीं किया गया है, फलस्वरूप किसानों द्वारा दुबारा बोनी किये जाने संबंधी कोई जानकारी या शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. अत: क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता.

आदिवासियों को गाय का वितरण

21. (*क्र. 1032) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2003 से 31-01-2007 तक आदिवासियों को कितनी गायें बांटी जा चुकी है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) गायों के वितरण के लिए किस एजेन्सी को अधिकृत किया गया है ? (ग) वितरण हेतु गायों की खरीदी कहां से की गई एवं खरीदी हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या गायों की खरीदी से मापदण्डों का पालन किया गया है ? गायों के स्वास्थ्य परीक्षण की राज्य शासन से क्या व्यवस्था की है ? (घ) क्या यह सत्य है कि वितरण के बाद गायों की बड़ी संख्या में मौतें हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004 से 31-1-2007 तक आदिवासियों को वितरित गायों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिला	चयनित विकासखण्ड	वितरित गायें
1.	बस्तर	5	6588
2.	महासमुंद	1	1796
3.	धमतरी	1	1864
4.	कांकेर	2	3003
5.	बिलासपुर	1	1208
	योग	10	14,459

(ख) राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद (गुजरात) को गाय वितरण के लिए अधिकृत किया गया है. (ग) गायों की खरीदी रोहतक (हरियाणा) से की जा रही है. गाय खरीदी हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

(i) गाय देशी नस्ल जैसे हरियाणा, राठी, थारपारकर, गीर, कांकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि नस्ल की हो.

(ii) गाय की उम्र 4 से 6 साल की हो.

(iii) गाय एक या दो ब्यात की हो.

(iv) गाय के दूध का उत्पादन 5 से 10 लीटर प्रतिदिन हो.

गायों का चयन, उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर पशु चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है. प्रत्येक गाय के स्वास्थ्य का परीक्षण भी पशु चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है. (घ) जी नहीं. गायों की मृत्यु दर प्रथम वर्ष में 4.8 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में माह जनवरी तक मात्र 8.1 प्रतिशत ही रही है, जो औसत मृत्यु दर के समकक्ष है.

ग्राम-रावो, घरघोड़ा में निजी एजेंसी द्वारा बांध का निर्माण

22. (*क्र. 1284) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम रावो, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में कुटकुट नदी पर निजी संस्थान द्वारा बांध का निर्माण किया गया है ? अगर हां, तो किसके द्वारा ? इसकी अनुमति कब और किस आधार पर दी गई ? (ख) क्या कंडिका "क" के क्षेत्र में बांध निर्माण के लिए विभाग ने कोई सर्वे कराया था ? यदि हां, तो कब ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी हां. ग्राम-रावो, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में कुरकेट नदी पर, निजी संस्थान मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड द्वारा बांध का निर्माण किया जा रहा है. उक्त कार्य की अनुमति तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 18-03-1997 द्वारा राज्य स्तरीय, जल स्रोत उपयोग समिति की 10वीं बैठक दिनांक 30-01-1997 में लिये गये निर्णयानुसार दी गई है. (ख) जी नहीं.

लघु सिंचाई योजना से सिंचित रकबा

23. (*क्र. 1270) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कितनी लघु सिंचाई योजना है ? (ख) उक्त सिंचाई योजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता तथा वास्तविक सिंचित रकबे कितना-कितना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) रायपुर जिले में 236 लघु सिंचाई योजनाएं हैं. (ख) उक्त सिंचाई योजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता 54755 हेक्टयर तथा वर्ष 2006-07 में वास्तविक सिंचित रकबा 35172 हेक्टेयर है.

प्रदेश में संचालित दाल-भात केन्द्रों की स्थिति

24. (*क्र. 1044) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31-12-2005 एवं 31-12-2006 की स्थिति में दाल-भात केन्द्रों की संख्या कितनी-कितनी थी ? जिलेवार बतावें ? (ख) क्या दाल-भात केन्द्रों में चांवल का प्रदाय केन्द्र शासन से प्राप्त बी. पी. एल. के लिये आवंटित चांवल में से किया जाता है ? यदि नहीं, तो किस मद का चांवल दिया जाता है ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने दाल-भात केन्द्र कहां-कहां संचालित है एवं उक्त समयावधि में इन केन्द्रों को कितना-कितना चांवल प्रदाय किया गया है ? दाल-भात केन्द्रवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) दाल-भात केन्द्रों को बी. पी. एल. आवंटन से चावल न दिया जाकर कल्याणकारी संस्थाओं के लिए प्राप्त आवंटन में से दिया जाता है. (ग) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 01 दाल-भात केन्द्र शिवरीनारायण में संचालित है. उक्त अवधि में इस केन्द्र को कुल 351.50 क्विंटल चावल प्रदाय किया गया.

राईस मिलों में विभागीय मंत्री द्वारा छापा/जांच की कार्यवाही

25. (*क्र. 984) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2007 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा कितने राईस मिल में छापा अथवा जांच की गई है ? (ख) जिन राईस मिलों में त्रुटियां पाई गई है उनमें से कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कैलेण्डर वर्ष 2007 में 15 फरवरी, 2007 तक मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राईस मिल में छापा अथवा जांच की कार्यवाही नहीं की गई है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

----

† परिशिष्ट "पांच"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 521) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2006 खरीफ

क्र.	फसल का नाम	वितरित मात्रा (क्विं. में)			योग मात्रा (क्विं. में)	कृषक संख्या
		बीज निगम	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र	मिनीकिट		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	धान	4606.20	675.60	0.00	5281.80	13661
2.	मक्का	0.00	0.00	0.60	0.60	30
3.	अरहर	165.02	0.00	36.80	201.82	1745
4.	मूंग	51.00	0.00	12.00	63.00	555
5.	सोयाबीन	1332.20	46.80	54.00	1433.00	1365
6.	तिल	7.80	0.00	0.00	7.80	156
7.	अरण्डी	0.00	0.00	6.20	6.20	310
8.	रामतिल	0.00	0.00	0.75	0.75	75
9.	सूरजमुखी	0.00	0.00	0.80	0.80	40
10.	सनई	25.00	0.00	0.00	25.00	62
11.	ढेंचा	25.00	0.00	0.00	25.00	83
	योग	**6212.22**	**722.40**	**111.15**	**7045.77**	**18082**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1283) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स. क्र.	कार्यालय का नाम	दोषी व्यक्ति का नाम	मद	प्रकरण संख्या	कुट रचना के फलस्वरूप प्रभावित राशि	वसूल राशि	बकाया राशि	प्रथम सूचना-पत्र जिनके विरुद्ध दर्ज कराया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर	1. श्री राजू शर्मा	जीवन काल कर	13	3,10,000/-	3,10,000/-	-	1. श्री राजू शर्मा
		2. श्री मुकेश जोशी	जीवन काल कर	03	31,845/-	30,850/-	995/-	2. श्री मुकेश जोशी
		3. श्री कुलेन्द्र कुमार साहू	जीवन काल कर	01	15,228/-	11,150/-	4,078/-	3. श्री कुलेन्द्र कुमार साहू
		4. श्री दयाशंकर गुप्ता	जीवन काल कर	01	10,000/-	10,000/-	-	4. श्री दयाशंकर गुप्ता
		5. श्री गौरीशंकर चौबे	जीवन काल कर	01	40,000/-	40,000/-	-	5. श्री गौरीशंकर चौबे
		6. श्री रविशंकर सिंह	जीवन काल कर	01	20,000/-	20,000/-	-	6. श्री रविशंकर सिंह
		1. श्री रविन्द्र सिंह चावला	मासिक कर	09	1,72,520/-	1,72,520/-	-	1. श्री रविन्द्र सिंह चावला
		2. श्री जोगेन्द्र सिंह	मासिक कर	01	18,000/-	18,000/-	-	2. श्री जोगेन्द्र सिंह
		3. श्री लक्ष्मण पटेल	मासिक कर	01	5,000/-	2,560/-	2,440/-	3. श्री लक्ष्मण पटेल
		4. श्री जशवीर सिंह चावला	मासिक कर	01	4,400/-	-	4,400/-	4. श्री जशवीर सिंह चावला
2.	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी	1. श्री सतपाल सिंह	जीवन काल कर	25	45,000/-	45,000/-	-	1. श्री सतपाल सिंह
		पता- रिसाईपारा, धमतरी	त्रैमासिक कर	05	8,375/-	8,375/-	-	पता-रिसाईपारा, धमतरी.
3.	जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा	1. श्री कुशकुमार सिन्हा	जीवन काल कर	02	56,000/-	56,000/-	-	1. श्री कुशकुमार सिन्हा
		2. श्री कृष्ण कुमार साहू	जीवन काल कर	01	28,000/-	28,000/-	-	2. श्री कृष्ण कुमार साहू
		3. श्री एस. मित्तल	जीवन काल कर	01	29,000/-	29,000/-	-	3. श्री एस. मित्तल
			कुल योग	66	7,93,368/-	7,81,455/-	11,913/-	

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 983) के भाग (ख) की जानकारी]

दुर्ग जिले में 30-11-06 से 31-01-07 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान जो निरस्त किये गये की सूची

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)		निरस्त की गई उचित मूल्य दुकान का नाम (3)
1.	धमधा	-	सुरभि महिला स्व सहायता समूह राहटादाह
2.	,,	-	मां भारती प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार, बागडूमर
3.	,,	-	मितान स्वायत्त सहकारी उप. भंडार, ओटेबंद
4.	,,	-	--,,-- डौर
5.	,,	-	मानस महिला स्व सहायता समूह, टेकापार
6.	,,	-	मां भारती प्राथ. सह. उप. भंडार, वार्ड क्र. 12, 13 अहिवारा
7.	,,	-	--,,-- वार्ड क्र. 14, 15 अहिवारा
8.	,,	-	समता प्राथ. उप. भंडार वार्ड क्र. 9, 10, 11 अहिवारा
9.	,,	-	मिनीमाता --,,-- वार्ड क्र. 7, 8 अहिवारा
10.	बेरला	-	जय सांई बाबा सहकारी उप. भंडार, कठिया
11.	,,	-	दिशा महिला स्व सहायता समूह, पतोरा
12.	,,	-	पूर्णेश्वर महादेव स्वायत्त प्राथ. उप. सह. समिति मर्या., देवरबीजा
13.	नवागढ़	-	सेवा सहकारी समिति, झाल

दुर्ग जिले में 30-11-2006 से 31-01-2007 की स्थिति में उचित मूल्य दुकान जिसकी नियुक्ति की गई, की सूची

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)		उचित मूल्य दुकान का नाम जिसकी नियुक्ति की गई (3)
1.	बेमेतरा	-	महिला स्व सहायता समूह, अमोरा
2.	नवागढ़	-	ग्राम पंचायत, झाल
3.	दुर्ग	-	प्रेरणा महिला स्व सहायता समूह, वार्ड 36, भिलाई
4.	,,	-	लता महिला स्व सहायता समूह, वार्ड 3, भिलाई
5.	दुर्ग	-	ज्योति ज्वाला महिला स्व सहायता समूह, वार्ड 19 सुपेला

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 298) की जानकारी]

परिवहन बेरियर में वर्ष 2005-2006 तथा वर्ष 2006-2007 (31 जनवरी 2007 तक) 09 टन से अधिक लोड वाले एवं क्षमता से अधिक माल परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध किये गये चालान एवं वसूल किये गये शमन-शुल्क की जानकारी

क्र.	बेरियर का नाम	वर्ष 2005-2006		वर्ष 2006-2007	
		चालान संख्या	प्राप्त शमन-शुल्क	चालान संख्या	प्राप्त शमन शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिल्फी	1064	14,89,700.00	2445	33,84,600.00
2.	मानपुर	84	10,430.00	01	2,000.00
3.	बागबाहरा	410	4,66,650.00	49	58,100.00
4.	केंवची	464	5,51,800.00	277	2,78,700.00
5.	भगतदेवरी	1544	19,91,700.00	1718	24,60,800.00
6.	पुटपीटोला	60	71,550.00	42	52,000.00
7.	पत्तूंजी	18	18,200.00	06	16,000.00
8.	छोटा मानपुर	381	4,30,700.00	286	3,76,600.00
9.	शंख	1268	17,79,200.00	1366	27,37,900.00
10.	कोंटा	136	1,94,000.00	02	2,000.00
11.	रेंगारपाली	254	3,68,000.00	85	1,24,600.00
12.	चांदी	05	5,600.00	-	-
13.	वाड्रफनगर	2120	24,49,800.00	1240	18,59,000.00
14.	रामानुजगंज	998	7,26,100.00	35	49,600.00
15.	पाटेकोहरा	9308	1,30,81,450.00	1863	3,07,284.00
	कुल योग	**18114**	**2,36,34,880/-**	**9415**	**1,17,09,184.00**

टीप :- उपरोक्तानुसार 15 बैरियर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थापित किये गये हैं. इसके अतिरिक्त 02 उप जांच चौकी, भी स्थापित किये गये हैं, जो क्रमशः बरमकेला, (कंटगपाली) जांच चौकी को रेंगारपाली बेरियर में एवं लवाकेरा जांच चौकी को शंख बैरियर के अधिनस्थ रखा गया है.

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1044) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में संचालित अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों की जानकारी

क्र. (1)	जिला (2)	दिनांक 31-12-2005 की स्थिति में (3)	दिनांक 31-12-2006 की स्थिति में (4)
1.	रायपुर	27	26
2.	धमतरी	5	5
3.	महासमुन्द	5	5
4.	बिलासपुर	18	18
5.	जांजगीर	7	7
6.	कोरबा	3	2
7.	दुर्ग	23	22
8.	राजनांदगांव	10	8
9.	कवर्धा	5	3
10.	रायगढ़	13	13
11.	जशपुर	15	10
12.	सरगुजा	22	24
13.	कोरिया	5	5
14.	बस्तर	16	16
15.	कांकेर	10	10
16.	दंतेवाड़ा	4	3
	योग	188	177